



सत्यमेव जयते


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(17)पंरावि/प्रशा.1/प्र.नि.समाप्त/वि.अ./2010/ 253 जयपुर, दिनांक 29-4-2021

आदेश

श्री इन्द्रसिंह राजपुरोहित, विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा की विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (उच्च शिक्षा) को लौटायी जाकर तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्री राजपुरोहित विकास अधिकारी के पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 27.4.2020 के अनुसार पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों के वरीयता क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति अपने पैतृक विभाग(मुख्यालय) पर प्रस्तुत करें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।


(मंजू सज्जपाल)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (एल.टी.) मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त अजमेर।
9. जिला कलेक्टर भीलवाडा।
10. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा।
12. ए.सी.पी कम्प्युटर सैल, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. श्री इन्द्रसिंह राजपुरोहित, विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा को पालनार्थ।
14. आदेश पत्रावली।


(डॉ. प्रवीण कुमार)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)